

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री ब्रजेश सिंह के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक श्री असित श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण मे जनपद संतकबीरनगर मे दिनांक 07.08.2019 को कानून व्यवस्था, अपराध एवं अपराधियों पर नियन्त्रण हेतु चलाये गये चेकिंग अभियान मे निम्नलिखित कार्यवाहिया की गयी।

वल्वा व अपराधिक मानव के मामले मे वांछित 03 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना बखिरा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 344/19 धारा 147/148/304 भादवि मे वांछित अभियुक्त नाम पता – 1 – विश्वनाथ पुत्र राजाराम 2 – मनोज पुत्र विश्वनाथ 3 – शिवसागर पुत्र विश्वनाथ निवासीगण भटौली थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया।

विदित हो कि दिनांक 06-08-2019 को ग्राम मंझरिया पठान टोला केवटहिया थाना बखिरा मे कबड्डी खेलने के विवाद को लेकर दो पक्षो मे विवाद हो गया था मारपीट मे दुर्गेश पुत्र तूफानी निवासी मंझरिया टोला केवटहिया थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर के भाई मजनु उर्फ रमेश को चोटे आई जिसको इलाज हेतु मेडिकल कालेज ले जाते समय रास्ते मे मृत्यु हो गई। जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर वादी की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तो की गिरफ्तारी की गई।

छेड़खानी व मारपीट के मामले मे वांछित 03 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना महुली पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 285/19 धारा 354(घ)/323 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट मे वांछित अभियुक्त नाम पता – 1 – बैदुल्लाह पुत्र अब्दुल्लाह 2 – इसरार पुत्र जाहिद 3 - शहरे आलम पुत्र स्व0 शमसुद्दीन निवासीगण महुलीखास थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया।

विदित हो कि दिनांक 06-08-2019 को अभियुक्तगण द्वारा वादी की नाबालिग लड़की को स्कूल से घर आते समय रास्ते मे छेड़खानी की गई थी व विरोध करने पर मारपीट भी की गई थी उसी दिन वादी द्वारा थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था जिसके सम्बन्ध मे थाना महुली पुलिस द्वारा तत्परता दिखाते हुए उक्त तीनों अभियुक्तो को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

स्कूल से सोलर बैट्री चुराने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना धनघटा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 349/19 धारा 279/411 भादवि मे वांछित अभियुक्त नाम पता – 1- आशुतोष सिंह उर्फ जानी सिंह पुत्र अरविन्द सिंह 2- विपुल पुत्र हरिलाल विश्वकर्मा 3 – राहुल पुत्र राजदेव निवासीगण औराडाड़ थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया।

विदित हो कि अभियुक्तगण दिनांक 05-08-2019 को औराडाड़ इण्टर कालेज मे लगी सोलर लाइट की बैट्री को चुरा ले गये थे जिसके सम्बन्ध मे वादी द्वारा दिनांक 07-08-2019 को थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था जिस पर थाना धनघटा पुलिस द्वारा तत्परता दिखाते हुए चोरी की गई बैट्री के साथ चोरो को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

वारण्टी

थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा एक वारण्टी नाम पता पिन्टू पुत्र लोकई चमरमंगता निवासी इटौवा थाना धर्मसिंहवा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1494 ने छेड़खानी को लेकर हो रहे विवाद को कराया शान्त— पीआरवी 1494 को थाना बखिरा क्षेत्र के अन्तर्गत इवेन्ट संख्या 7118 से कालर ने किसी व्यक्ति द्वारा लड़की के साथ छेड़खानी करने के सम्बन्ध में सूचना दी। इस सूचना पर पीआरवी कर्मियों द्वारा तत्काल 05 मिनट में घटनास्थल पर पहुंचा गया तो छेड़खानी को लेकर दो पक्षों में विवाद हो रहा था पीआरवी कर्मियों द्वारा विवाद को शान्त कराकर विधिक कार्यवाही हेतु दोनों पक्षों के व्यक्तियों को थाना बखिरा को सुपुर्द किया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटनास्थल पर समय से पहुंचकर विवाद को शान्त कराकर एक बड़ी घटना को घटित होने से रोका गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ- मुख्य आरक्षी श्रीकान्त सिंह, आरक्षी मुकुन्द चौहान, हो0चा0 संजय चौधरी।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 82 वाहनो से 87600 रु0 सम्मन शुल्क वसूल

आज दिनांक 07-08-2019 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 82 वाहनो से 87600 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) में 11 अभियुक्त गिरफ्तार –

- दुधारा पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 05 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- धनघटा पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 05 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- मेंहदावल पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

एन्टी रोमियो अभियान के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही

आज दिनांक 07-08-2019 को जनपदीय पुलिस व एन्टी रोमियो टीम द्वारा मनचले / रोमियो चेकिंग के दौरान 18 स्थानों पर चेक करते हुए कुल 55 व्यक्तियों को चेक किया गया जिसमें से मनचले व शोहदे किस्म के 03 लड़कों से पूछताछ करने के पश्चात उनके परिजनों के संज्ञान में लाते हुए माफीनामा प्रस्तुत करने के उपरान्त कड़ी चेतावनी देकर छोड़ा गया तथा हिदायत दी गयी कि बिना किसी कारण के बाजारों व चौराहों के आसपास दोबारा घूमते हुए पाये जाने पर कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।